न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 125 / 2024

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. पदमाराम पुत्र तुलसाराम वयस्क
2. मगाराम पुत्र तुलसाराम वयस्क
3. देराजराम पुत्र दलाराम वयस्क
4. हनुमानराम पुत्र दलाराम वयस्क
5. भूराराम पुत्र धूड़ाराम वयस्क
6. दमाराम पुत्र फूवाराम वयस्क
7. मेघाराम पुत्र फूवाराम वयस्क
8. मानाराम पुत्र फूवाराम वयस्क
9. रायमलराम पुत्र फूवाराम वयस्क जातियान जाट निवासीयान राणेरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. टीकमाराम पुत्र लुम्बाराम वयस्क
2. वांकाराम पुत्र लूम्बाराम वयस्क
3. आईदानराम पुत्र सुखाराम वयस्क
4. चौलाराम पुत्र सुखाराम वयस्क
5. बाबूराम पुत्र सुखाराम वयस्क
6. मीरादेवी पत्नि लुम्भाराम वयस्क
7. अमराराम पुत्र टीकमाराम वयस्क
8. आसूराम पुत्र टीकमाराम वयस्क
9. कंवराराम पुत्र टीकमाराम वयस्क
10. पूनमाराम पुत्र टीकमाराम वयस्क
11. भंवराराम पुत्र टीकमाराम वयस्क
12. हीराराम पुत्र टीकमाराम वयस्क
13. देवराम पुत्र धुंधलाराम वयस्क
14. नारणाराम पुत्र धुंधलाराम वयस्क
15. पुरखाराम पुत्र धुंधलाराम वयस्क
16. हराराम पुत्र धुंधलाराम वयस्क
17. जोगाराम पुत्र दलाराम वयस्क
18. जोगाराम पुत्र बालाराम वयस्क
19. पपूराम पुत्र बालाराम वयस्क
20. सगताराम पुत्र बालाराम वयस्क
21. रमेशकुमार पुत्र वालाराम वयस्क
22. दुर्गाराम पुत्र ईशराराम वयस्क
23. राजकुमार पुत्र [illegible] वयस्क
24. सुनिलकुमार [illegible] हनु[illegible]म वयस्क
25. अचलीदेवी पुत्री [illegible] वयस्क
26. [illegible] पुत्री [illegible] वयस्क
   जाति जाट निवासी राणेरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
27. सरपंच ग्राम पंचायत कमठाई

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 12.12.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा नई राणेरी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 103,104 रकबा क्रमशः 0.1618,38.7430 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ़ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा नई राणेरी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 103,104 रकबा क्रमशः 0.1618,38.7430 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा नई राणेरी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 103,104 रकबा क्रमशः 0.1618,38.7430 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा नई राणेरी पटवार मण्डल कमठाई तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सिणधरी के खेत खसरा संख्या 103,104 रकबा क्रमशः 0.1618,38.7430 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि मौजा नई राणेरी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 103,104 रकबा क्रमशः 0.1618,38.7430 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नई राणेरी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 103,104 रकबा क्रमशः 0.1618,38.7430 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फ़ीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 12.12.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 13:06:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी